

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

(गोपनीय शाखा)

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नारायणपुर के पत्रांक 383/बीपीएमयू नारायणपुर दिनांक 12.09.2020 तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला के पत्रांक 2137/ वि० नाला, दिनांक 12.09.2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में निम्न नोटिफाईड कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से डिनोटिफाई किया जाता है:-

1. आदेश ज्ञापांक 693 गो०(आ०) दिनांक 24.07.2020 के द्वारा सी०एच०सी०, नारायणपुर प्रखण्ड नारायणपुर।
2. आदेश ज्ञापांक 704 गो०(आ०) दिनांक 30.07.2020 के द्वारा नारायणपुर बाजार प्रखण्ड नारायणपुर।
3. आदेश ज्ञापांक 763 गो०(आ०) दिनांक 21.08.2020 के द्वारा सिंदरी, प्रखण्ड नारायणपुर।
4. आदेश ज्ञापांक 795 गो०(आ०) दिनांक 31.08.2020 के द्वारा किष्तेपुर एवं बेगेजुड़ी, प्रखण्ड नाला।

उपायुक्त
जामताड़ा।
14/09/2020

ज्ञापांक.....827...../गो० (आ०), दिनांक...14/09/2020

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा/ उप विकास आयुक्त-सह-वरीय प्रभारी (COVID-19) जामताड़ा/ अपर समाहर्ता, जामताड़ा/ अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा/ नाला/ सिविल सर्जन, जामताड़ा/ जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा/ अंचल अधिकारी, जामताड़ा/ श्री प्रधान मांझी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जामताड़ा/ नगर परिषद मिहिजाम/ सभी प्रभारी प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी/ थाना प्रभारी अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों/ कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उपायुक्त
जामताड़ा।
14/09/2020